"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी 2007—माघ 7, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2007

आदेश

क्रमांक 917/248/21-ब/छ. ग./07.— विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के धारा 22-ब के उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार एतद्द्वारा सारिणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारियों की सेवायें उच्च न्यायालय से वापस लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सौंपता है एवं उन्हें कॉलम (3) में उनके सम्मुख विनिर्दिष्ट स्थायी लोक अदालत के सभापति के रूप में नियुक्त करता है. वे संबंधित स्थानों में 5 फरवरी, 2007 तक पदभार ग्रहण करेंगे :-

क्रमांक (1)	न्यायिक अधिकारियों के नाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	स्थान (3)
1.	श्री जी. एल. सोनवानी, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर.	जगदलपुर
2.	श्री एन. के. चंद्रवंशी, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर.	रायपुर

(1)	(2)	(3)
3.	श्री महादेव कातुलकर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत, बिलासपुर.	बिलासपुर

Raipur, the 24th January 2007

ORDER

No. 917/248/XXI-B/C. G./07.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 22-B of Legal Service Authority Act, 1987, the State of Chhattisgarh in Consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby withdraws the services of judicial officers specified in column No. (2) in the Schedule from the High Court and places their services under State Legal Service Authority and appoints them as Chairman of permanent Lok Adalat in places specified in column No. (3). They shall assume charges at their corresponding places by 5th February, 2007 :-

S. No. (1)	Name of Judicial Officers with present place of posting (2)	Place (3)
1.	Shri G. L. Sonwani, III Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur.	Jagdalpur
2.	Shri N. K. Chandrawansi, I Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.	Raipur
3.	Shri Mahadev Katulkar, Additional District & Sessions Judges & Special Judge under NDPC Act, Bilaspur.	Bilaspur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2007.